

राम मंदिर: रामराज्य का संकल्प

यह एडिटोरियल 23/01/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Ram is not fire, Ram is energy" लेख पर आधारित है। इसमें अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतष्ठा समारोह के महत्त्व पर चर्चा की गई है और भारतीय समाज में शांति एवं सद्भाव के प्रतीक के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

प्रलिस के लिये:

राम मंदिर (अयोध्या), सर्वोच्च न्यायालय, CJI, मंदिर अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक कूटनीति।

मेन्स के लिये:

राम मंदिर विवाद से संबंधित प्रमुख घटनाएँ, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, राम मंदिर के निर्माण का महत्त्व।

राम मंदिर का प्राण प्रतष्ठा समारोह (consecration ceremony) एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है जिससे अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की 500 वर्ष पुरानी आकांक्षा की पूर्तकी है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक चरिप्रतीक्षा के अंत के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भगवान राम को समर्पित मंदिर का निर्माण—जो न्याय का प्रतीक है, एक उचित एवं नष्टिपक्ष तरीके से किया गया है। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिये भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया।

जबकि राम मंदिर अब साकार हो चुका है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में धार्मिक विवादों की पुनरावृत्त को रोका जाना चाहिये। राम राज्य के सिद्धांतों का पालन करना और 'धर्म' को बनाये रखना सभी के लिये अनिवार्य है।

बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद के प्रमुख घटनाक्रम:

- 1529 ई. : मीर बाक़ी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण-** बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद थी जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित थी। बड़ी संख्या में हिंदू अनुयायियों द्वारा मस्जिद स्थल को भगवान राम का जन्मस्थान (शरी राम जन्मभूमि) माना जाता था।
 - इससे बार-बार यह विवाद होता रहा कि भूमिका स्वामित्व किसके पास है।
- दिसंबर 1949: मस्जिद के अंदर राम की मूर्तिका 'प्रकट' होना।**
- तीन प्रमुख वाद:**
 - वर्ष 1959 में **नरिमोही अखाड़े** ने मालिकाना हक (title suit) का मुकदमा दायर किया। नरिमोही अखाड़े का दावा था कि वह राम जन्मभूमि का वास्तविक प्रबंधक है।
 - वर्ष 1961 में **उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटरल वक्फ बोर्ड** ने भी एक मुकदमा दायर किया। यह बोर्ड मस्जिद पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा था।
 - वर्ष 1989 में वरिष्ठ अधिवक्ता **देवकी एन. अग्रवाल** ने भगवान राम की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। इसके बाद पूर्व के सभी मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिये गए।
- 25 सितंबर 1990: रथ यात्रा -** लालकृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिये समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सोमनाथ (गुजरात) से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) तक की रथ यात्रा शुरू की।
- 6 दिसंबर 1992:** बाबरी विध्वंस - कारसेवकों की एक हसिक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और उसके स्थान पर एक अस्थायी मंदिर (makeshift temple) की स्थापना कर दी।
- 7 जनवरी 1993: राज्य द्वारा अयोध्या भूमिका अधिग्रहण -** सरकार ने 67.7 एकड़ भूमिका अधिग्रहण करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया।
- अप्रैल 2002:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्वामित्व विवाद पर सुनवाई शुरू की।
- 8 जनवरी 2019:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संवधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिये अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया।
- 8 मार्च 2019: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का आदेश -** संवधान पीठ ने न्यायालय की नगिरानी में मध्यस्थता का आदेश दिया।
- 9 नवंबर 2019- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय-**
 - विवादित भूमि रामलला को समर्पित: सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से मामले के तीन दावेदारों में से एक

'रामलला' को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिये संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि सौंपकर विवाद का निपटारा कर दिया।

- **मस्जिद निर्माण के लिये भूमि:** मंदिर के लिये विवादित भूमि सौंपने के अलावा न्यायालय ने मस्जिद के निर्माण के लिये अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर पाँच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का निर्णय दिया।

राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार:

- **विवादित स्थल पर परतसिपरद्धी अधिकार:** विवादित स्थल पर हद्वि और मुसलमि दोनों का परतसिपरद्धी अधिकार था। हालाँकि हद्विओं ने विवादित ढाँचे पर अपनी नरितर उपासना के बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत किये जो न्यायालय के निर्णय में एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा।
- **अनन्य मुसलमि कबजे का अभाव:** मुसलमि पक्षों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो यह दर्शाता हो कि विवादित ढाँचे पर उनका अनन्य कब्जा रहा हो और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती हो।
- **बाहरी परसिर पर कबजा:** न्यायालय ने कहा कि विवादित स्थल के बाहरी परसिर पर मुसलमानों का कभी भी कब्जा नहीं रहा। जबकि आंतरिक प्रांगण परस्पर वरिधी दावों के साथ एक विवादित स्थल था, दिसंबर 1949 तक मुसलमानों द्वारा मस्जिद का परतियाग नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ नमाज़ की जाती थी।
- **सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा स्वामित्व स्थापित करने में वफिलता:** सुन्नी वक्फ बोर्ड परतकिल कब्जे या वक्फ (dedication by user) के माध्यम से स्वामित्व स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, जो न्यायालय द्वारा वचिरति एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक था।
- **मंदिर निर्माण के लिये टरस्ट:** **सर्वोच्च न्यायालय** ने केंद्र को, जसिने विवादित भूमि और आस-पास के कषेत्रों का अधगिरहण किया था, मंदिर के निर्माण के लिये एक टरस्ट स्थापित करने का नरिदेश दिया। यह विवाद को सुलझाने और स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को सुवधायक बनाने के निर्णय का एक भाग था।
- **ASI रपिरट:** अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक रपिरट का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद, जो वर्ष 1992 में वधिवंस से पहले विवादित स्थल पर खड़ी थी, खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी और प्रमाण मलि है कि वहाँ एक मंदिर जैसी संरचना पहले से मौजूद थी।
- **अनविरयता का सदिधांत:** निर्णय सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने अनविरय धारमकि प्रथाओं के सदिधांत (doctrine of essential religious practices) का अनुप्रयोग किया। न्यायालय ने एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ मामले (1994) का हवाला दिया जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "मस्जिद इस्लाम धरम के आचरण का एक अनविरय अंग नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज़ (प्रार्थना) कही भी, यहाँ तक कि खुले में भी की जा सकती है।"

राम मंदिर का निर्माण क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **उल्लास का कषण:** अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण घटना है जो लंबे समय से जारी विवाद के अंत और भारत के इतहास में एक नए अध्याय के आरंभ का प्रतीक है।
- **धारमकि महत्त्व:** यह मंदिर हद्वि देवताओं में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक राम का पवतिर नवास स्थान है, जनिके बारे में हद्वि मानते हैं कि उनका जन्म अयोध्या में ठीक इसी स्थान पर हुआ था।
- **आस्था का प्रतीक:** राम मंदिर उस स्थान पर बनाया जा रहा है जसि हद्वि राम जन्मभूमि मानते हैं। लाखों हद्वि इस गहन वशिवास के साथ भगवान राम की पूजा करते हैं कि विपितता के समय में उनके नाम जाप से शांति एवं समृद्धि प्रापत होती है और हद्वि धरम का पालन करने वाले अधकिंश लोग अपने घरों में राम की मूर्तियाँ रखते हैं।
- **मंदिर अरथव्यवस्था:** इन पहलों से अयोध्या को देश में एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र में बदलने की उम्मीद है, जो बढी हुई कनेक्टविटी के कारण व्यापक कषेत्र में व्यापार एवं आरथकि गतविधियों को बढावा देगा।
 - तरिपत मंदिर, जो एक प्रमुख तीरथ स्थल है, परतविरष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जसिसे स्थानीय अरथव्यवस्था को व्यापक रूप से बढावा मलिता है।
- **'न्यूक्लियस' संस्थान:** मंदिर एक 'न्यूक्लियस' या नाभिक के रूप में कार्य कर सकता है जसिके चारों ओर स्कूल और अस्पताल जैसे धरमार्थ संस्थान वकिसति किये जा सकते हैं।
- **सामाजकि एकजुटता:** राम मंदिर हद्वि उपासना स्थल होने के प्रतीकवाद से आगे बढकर एकजुटता और सांस्कृतिक संश्लेषण के एक बड़े संदेश का संकेत देगा। यह दवियता (divinity) के आह्वान के माध्यम से 'सोशल इंजीनियरिंग' है। यह राष्ट्र को जोड़ने वाला सूत्र सदिध हो सकता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** राम की दवियता न केवल भारत में एक प्रमुख धारमकि प्रभाव के रूप में वदियमान है, बलकि थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और मलेशिया जैसे देशों में भी सांस्कृतिक वरिसत का एक अभनिन अंग है। इससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति भी सुदृढ़ होगी।



भारत जैसे लोकतंत्र में भगवान राम के मूल्यों को कैसे स्थापित किया जा सकता है?

- **‘धर्म’ (Righteousness) को बढ़ावा देना:**
 - जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये नेताओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
 - व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नष्पिपक्षता के महत्त्व पर बल देना चाहिये।
- **न्याय और नष्पिपक्षता:**
 - एक मज़बूत एवं नष्पिपक्ष न्यायिक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है जो सभी नागरिकों के लिये न्याय सुनिश्चित करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
 - जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिये समान अवसर और उचित व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिये।
- **समावेशी शासन:**
 - एक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए जो लोगों के विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हो।
 - ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिये जो हाशिये पर स्थित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे।
- **सेवक दृष्टिकोण का नेतृत्व (Servant Leadership):**
 - लोगों की भलाई के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताओं को सेवक होने के विचार से प्रेरित होना चाहिये।
 - राजनीतिक लोगों के बीच वनिम्रता, करुणा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **सामुदायिक सद्भाव:**
 - सांप्रदायिक सद्भाव और एकता पर बल देने के साथ विभाजनकारी तत्त्वों को हतोत्साहित करना आवश्यक है जो संघर्ष का कारण बन सकते हैं।
 - विभिन्न समुदायों के बीच संवाद एवं समझ को प्रोत्साहित करने के साथ सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना चाहिये।

नष्पिकर्ष:

जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, राम और राष्ट्र के बीच की दूरी को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर दूर किया जाएगा। यह अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँच बनाने का आह्वान करेगा, जो मंदिर आंदोलन के अंग नहीं थे। इसके लिये, धरुवीकरण के युग में, साझा आधार के कृतसंकल्पित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

अभ्यास प्रश्न: चर्चा कीजिये कि किस प्रकार 'रामराज्य' की प्राप्ति के क्रम में सामाजिक समस्याओं को हल करना तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नागर, दरवडि और वेसर हैं: (2012)

- (a) भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य नस्लीय समूह
- (b) तीन मुख्य भाषायी प्रभाग जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है
- (c) भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन मुख्य शैलियाँ
- (d) भारत में प्रचलित तीन प्रमुख संगीत घराने

उत्तर: C

??????????:

प्रश्न. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने तथा उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है। वविचना कीजिये। (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/ram-mandir-a-resolution-to-ramrajya>

